<u>न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीतापुर।</u>

जमानत प्रा0 पत्र सं0 0000022/18

सी0आई0एस0नं0 0000007/18

02-01.2018

प्रस्तुत जमानत प्रा0 पत्र न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार में निरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त कैलाश पासी पुत्र श्री राम पासी निवासी बम्भनपुरवा थाना कोतवाली जिला सीतापुर द्वारा आज मु0अ0सं0 1274/2017 अन्तर्गत धारा 307,504 भा0 दं0 सं0 अन्तर्गत थाना कोतवाली जिला सीतापुर में इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उसे रंजिशन झूंठा फसाया गया है वह निर्दोष है। वह जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। अन्त में जमानत हेतु अनुरोध किया गया है।

जमानत प्रा0 पत्र का अभियोजन द्वारा विरोध किया गया।

सुना तथा दाखिल पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा उपनिरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह व उनके साथियों को गंदी गंदी गालियां देने एवं जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर देने का आरोप है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः मामले के उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों तथा अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नही है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कैलाश पासी का जमानत प्रा0 पत्र निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती रूपाली सक्सेना)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सीतापुर।

गजराज/